संख्या : /2018–05–4(2)/2018

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग(जलागम) देहरादून : दिनांक 15 फरवरी, 2019

विषयः वित्तीय वर्ष 2018–19 में उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजनान्तर्गत स्वीकृत बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय के पत्र संख्या 1835/3–2(ब)/ग्राम्या–2/2018–19 दिनांक 23 जनवरी, 2019 तथा शासनादेश संख्या 338/ज0प्र0अनु0/18–5–4(2)/2018 दिनांक 23 अप्रैल, 2018, शासनादेश संख्या 401/2018–5–4(2)/2018 दिनांक 30 मई, 2018 एवं शासनादेश संख्या 462/2018–05–4(2)/2018 दिनांक 11 जून, 2018 के क्रम में तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/3(150)– 2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु0 18678.83 लाख (रु0 एक सौ छियासी करोड़ अठहतर लाख तिरासी हजार मात्र) के सापेक्ष मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में रु0 700.00 लाख (रु0 सात करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्तानुसार आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि को सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर रख दिया जायेगा।

2. उक्त निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय करते हुए वित्त विभाग के सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 02.04.2018 में दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथावश्यक किश्तों में आहरण किया जायेगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है तथा व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2019 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाय।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान संख्या –17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म–001–निदेशन तथा प्रशासन–97–वाह्य सहायतित योजना 9701–उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई0डी0 S1902170229 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 02.04.2018 के द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या : 62 /2018–5–4(2)/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, ऑडिट, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक कोषागार उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देव सिंह)
उप सचिव।